

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग लखनऊ-226001

संख्या-331-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2008/100(1)-प्र०सु०/92. दिनांक: 30 अगस्त, 2008.

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप सं०-150-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/ 2008-100 (1) प्र०सु०/92 दिनांक 30.05.2008 द्वारा घोषित स्थानान्तरण नीति वर्ष 2008-09 के मार्गदर्शक सिद्धांत एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया के कम में एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि:-

"उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय पर कार्यरत लेखा संवर्ग के अधिकारी भी स्थानान्तरण नीति में उल्लिखित तैनाती की सामान्य समय सीमा के प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।"

अध्यक्ष

संख्या-331(1)-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
- 2-अध्यक्ष महोदय से सम्बद्ध मु०म०प्र०, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3-प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, विद्युत वितरण निगम, लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर/(पांच प्रतियों में)।
- 4-समस्त निदेशकगण से सम्बद्ध निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/ ट्रान्समिशन कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5-समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2)/मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/ उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- अपर सचिव(प्रथम/द्वितीय)/अपर सचिव (अरा०/काविनी), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8-समस्त अधीक्षण अभियन्ता /उपमहाप्रबन्धक/सयुक्त सचिव/अधिशाली अभियन्ता/उपसचिव/ अनुसचिव, उ०प्र०पा०का० लि०/ उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन/ विद्युत वितरण निगम।
- 9-लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(आय-व्ययक)/(निधि)/(प्रशासन, एवं सम्प्रेक्षा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10-वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ महालेखाकार (आडिट)-द्वितीय कार्यालय, द्वितीय तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11-कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, / उ०प्र०ट्रा०का०लि०/विद्युत वितरण निगम, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12-समस्त अधिकारी/शिविर/अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 13-अधिशाली अभियन्ता (वेबसाइट) को अपडेशन हेतु।

आज्ञा से

(बी०के० भट्ट)

अपर सचिव-प्रथम